

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

धनाराम




किस्म प्रकरण : प्रा.पत्र

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

नेमाराम वगैरह

मुकदमा नं. 062 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
06.01.2026	<p>पत्रावली तारीख पेशी पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर से प्राप्त होने पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान को आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकारान/अधिवक्तागण हाजिर नहीं आये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने भी बकाया पक्षकारान अप्रार्थी संख्या 1,2,3 एवं 8 से 20 की तलबी में विचाराधीन है। सीपीसी प्रावधानुसार उक्त प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग केतहत आते है जिनका निस्तारण 3 माह की अवधि में किया जाना होता है। जबकि उक्त प्रकरण को 5 वर्ष से तलबी स्तर पर ही लम्बित चल रहा है। उक्त प्रकरण में न तो प्रार्थी अधिवक्ता रुचि दिखा रहे है ना ही अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता रुचि दिखा रहे है। अतः प्रकरण हाजा वास्ते तलबी व उपस्थिति अधिवक्ता इन्तजार में दिनांक 22.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       (दिव्या सोनी)                      उपखण्ड अधिकारी                      नावां (डीडवाना-कुचामन)                 </p>	
22.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर हाजिर। वकील प्रार्थी को आवाजे लगवाई गई। परन्तु आज भी वकील प्रार्थी गैर हाजिर रहे है। प्रकरण दिनांक 10.03.2022 से तलबी स्तर पर लम्बित चल रहा है। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु वकील वादी/प्रार्थी को अनेक अवसर दिये गये है। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में वकील वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी की जाने हेतु एक अन्तिम अवसर साबिका आदेश की पालना नहीं की जाने पर प्रकरण हाजा सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने की हिदायत के साथ दिया जाता है। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 30.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      नावां (डीडवाना-कुचामन)                 </p>	
30.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर हाजिर। वकील प्रार्थी को आवाजे लगवाई गई। परन्तु आज भी वकील प्रार्थी गैर हाजिर रहे है। प्रकरण दिनांक 10.03.2022 से तलबी स्तर पर लम्बित चल रहा है। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु वकील वादी/प्रार्थी को अनेक अवसर दिये गये है। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में वकील वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी की जाने हेतु एक अन्तिम अवसर साबिका आदेश की पालना नहीं की जाने पर प्रकरण हाजा सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत खारिज किये जाने की हिदायत के साथ दिया गया। परन्तु वकील वादी/प्रार्थी ने आदिनांक तक तलबी नहीं कराई है, ना ही स्वय उपस्थित आये है। अतः वकील वादी/प्रार्थी का वाद/प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 05 के तहत अमद तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      नावां (डीडवाना-कुचामन)                 </p>	